न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2419–चार/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 539/95–96 निगरानी.

रवीश चन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल
निवासी ग्राम असोहना, टप्पा मौ
तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. .... आवेदकगण

विरूद्ध

1– कायम सिंह पुत्र गंभीर सिंह
2. बलवीर सिंह पुत्र गंभीर सिंह
नाबालिग व सरपरस्त पिता गंभीरसिंह
निवासी ग्राम मौहदी का पुरा टप्पा
मौ. तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
4. गोविंद सिंह पुत्र कायम सिंह ना.वा.
व सरपरस्त पिता कायम सिंह
4. अशोक सिंह पुत्र मुन्ना सिंह
ना.बा. सरपरस्त कायम सिंह
नि. ग्राम मेवसी तह. सेवढ़ा जिला दतिया म.प्र.
5. सुरेखा पत्नी माता प्रसाद
निवासी ग्राम असोहना तहसील गोहद
जिला भिण्ड म.प्र. .... अनावेदकगण

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण.

आदेश

(आज दिनांक 7 – 9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे

आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 539/95—96/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.10.200 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि विचारण न्यायालय ने आवेदक को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहं दिया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 24.4.91 का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया तथा अत्यंत जल्दवाजी में संपूर्ण कार्यवाही संपादित की ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था सही नहीं है । अनावेदिका कमांक 5 के हित में निष्पादित वसीयतनामा कूट रचित अभिलेख है वसीयत मृतक को धोखा देकर कराई गई थी इस कारण ऐसी वसीयत के आधार पर अनावेदक क. 5 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के हक में किये गये विकयपत्र से उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते । उक्त आधारों पर उनके द्वाराअधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण के संबंध में है । प्रकरण में नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील स्वीकार की गई और द्वितीय अपील में प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रत्यावर्तन उपरांत विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर वसीयत के आधार पर जो नामांतरण हुआ था उसके उचित माना इसके विरूद्ध अपील पेश की जो स्वीकार होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह माना कि अपीलकर्ता को विधिवत अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण आने पर उन्होंने यह पाया है कि रवीशचन्द्र का यह कहना कि उसको विधिवत तामील नहीं हुई सही नहीं है क्योंकि न्यायालय में दिनांक 9—8—94 की आदेश पत्रिका में उसके हस्ताक्षर हैं और उसको गंभीर त्रुटि मानते हुए एस.डी.ओ. के आदेश को निरस्त

करते हुए अपील को स्वीकार किया है । अपर आयुक्त ने यह भी पाया है कि उभयपक्ष को सुनने के उपरांत ही वसीयत के आधार पर आदेश दिया गया था और उसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है तथा प्रत्यावर्तन आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है । प्रकरण के अभिलेख को देखने के उपरांत अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक प्रकिया के अनुसार होकर विधिसम्मत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्याालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2419–चार/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 539/95–96 निगरानी.

रवीश चन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल
निवासी ग्राम असोहना, टप्पा मौ
तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र. .... आवेदकगण

विरूद्ध

1– कायम सिंह पुत्र गंभीर सिंह
2. बलवीर सिंह पुत्र गंभीर सिंह
नाबालिग व सरपरस्त पिता गंभीरसिंह
निवासी ग्राम मौहदी का पुरा टप्पा
मौ. तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
4. गोविंद सिंह पुत्र कायम सिंह ना.वा.
व सरपरस्त पिता कायम सिंह
4. अशोक सिंह पुत्र मुन्ना सिंह
ना.बा. सरपरस्त कायम सिंह
नि. ग्राम मेवसी तह. सेवढ़ा जिला दतिया म.प्र.
5. सुरेखा पत्नी माता प्रसाद
निवासी ग्राम असोहना तहसील गोहद
जिला भिण्ड म.प्र. .... अनावेदकगण

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण.

आदेश

(आज दिनांक 7 – 9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे

आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 539/95–96/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.10.200 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि विचारण न्यायालय ने आवेदक को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहं दिया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 24.4.91 का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया तथा अत्यंत जल्दवाजी में संपूर्ण कार्यवाही संपादित की ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था सही नहीं है । अनावेदिका कमांक 5 के हित में निष्पादित वसीयतनामा कूट रचित अभिलेख है वसीयत मृतक को धोखा देकर कराई गई थी इस कारण ऐसी वसीयत के आधार पर अनावेदक क. 5 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के हक में किये गये विकयपत्र से उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते । उक्त आधारों पर उनके द्वाराअधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण के संबंध में है । प्रकरण में नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील स्वीकार की गई और द्वितीय अपील में प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रत्यावर्तन उपरांत विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर वसीयत के आधार पर जो नामांतरण हुआ था उसके उचित माना इसके विरूद्ध अपील पेश की जो स्वीकार होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह माना कि अपीलकर्ता को विधिवत अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण आने पर उन्होंने यह पाया है कि रवीशचन्द्र का यह कहना कि उसको विधिवत तामील नहीं हुई सही नहीं है क्योंकि न्यायालय में दिनांक 9–8–94 की आदेश पत्रिका में उसके हस्ताक्षर हैं और उसको गंभीर त्रुटि मानते हुए एस.डी.ओ. के आदेश को निरस्त

करते हुए अपील को स्वीकार किया है । अपर आयुक्त ने यह भी पाया है कि उभयपक्ष को सुनने के उपरांत ही वसीयत के आधार पर आदेश दिया गया था और उसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है तथा प्रत्यावर्तन आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है । प्रकरण के अभिलेख को देखने के उपरांत अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक प्रकिया के अनुसार होकर विधिसम्मत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्याालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर